न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 01/2021

1. कमला पत्नी अशोक कुमार उम्र 44 वर्ष जाति जाट निवासी माकडों तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

बनाम

1. ग्राम पंचायत मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिंधाना तहसील बुहाना।

<u>अपील विरूद नामान्तकरण स. 759 दिनांक 22.06.2021 ग्राम पंचायत मोई सद्दा</u>

–:निर्णयः–

दिनांक :– 19.01.2022

अपीलान्ट की ओर से अपील के आधारो से पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि–

1. यह कि अपीलान्ट ने वाके ग्राम ढाणी हुक्मा भूमि खाता संख्या 117 जमाबंदी सं. 2075–78 के हाल खसरा नम्बर 729/684 रकबा 0.94 है. भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021 को क्रय की है। इस प्रकार अपीलान्ट इस भूमि का एकांकी खातेदार मालकीन है।

2. यह कि अपीलान्ट ने विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम से नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र विक्रय पत्र की प्रति के साथ ग्राम पंचायत के समक्ष जरिये पटवारी हल्का द्वारा आवेदन किया जिसके आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण प्रपत्र पी–21 में विक्रय पत्र के आधार पर खाना नम्बर 8 में अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया तथा पटवारी ने यह उल्लेख किया की श्रीमान जी मुताबिक विक्रय पत्र के जांच कर नामान्तकरण दर्ज कर दिया सेवामें पेश है। उक्त नोट के आगे अपने हस्ताक्षर करके नी[illegible] दर्ज कर दी। जिसके अनुसार पटवारी हल्का की ज[illegible] विक्रय पत्र [illegible] गया। पटवारी ने नामान्तकरण दर्ज करने हेतु अपनी कार्यवाही में [illegible] तथा पटवारी हल्का में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:52:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

इसके पश्चात राजनैतिक दबाव की वजह से उक्त नामान्तकरण में अपना अंकन करने पश्चात व अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात आगे पुनः नोट बाद में दबाव की वजह से यह लगा दिया की श्रीमानजी उक्त भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। जबकि पटवारी हल्का ने स्वयं ने नामान्तकरण दर्ज किया है।

3. यह कि गिरदावर हल्का में भी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक विक्रय पत्र को राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकन सही होना है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया के दिनांक 22.06.2021 को अपीलान्ट का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज ना करके खारीज कर दिया है।

4. यह कि अपीलान्ट ने उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021 को 2000000 /– रूपये में क्रय की है। विक्रय पत्र के अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसकों बिना कोई विधिक व कानूनी प्रक्रिया के अस्वीकार कर दिया। जबकि पटवारी हल्का व गिरदावर ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार विक्रय पत्र व राजस्व रिकार्ड के अनुसार विक्रय प. का अंकन सही माना है। चूंकि ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट से विक्रय पत्र के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने हेतु रूपये की मांग की थी। जिसको अपीलान्ट ने इन्कार कर दिया। इस वजह से अपीलान्ट के नामान्तकरण को अस्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत को मात्र विक्रय पत्र और राजस्व रिकार्ड के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करना था। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारों से आगे बढकर रंजिशवस अपीलान्ट का नामान्तकरण खारीज किया है जिसका उसे कोई अधिकार नही है।

5. यह कि विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट इस भूमि परखातेदार मालिक है। जिस पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा विक्रय पत्र के अनुसार भी विक्रेता ने कब्जा करवा दिया है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 को मात्र यही देखना था कि विक्रय पत्र राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही तस्दीक हुआं है या नही लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया के अपीलान्ट का नामान्तकरण अस्वीकार कर खारीज कर दिया है। जबकि अपीलान्ट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है। जबकि अपीलान्ट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सेभूमि क्रय की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में विक्रय पत्रका नामान्तकरण दर्ज कर पेश किया है। तथा असके आगे अपने हस्ताक्षर भी कर दिये है लेकिन उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दबाव में पुनः अकृषि प्रयोजनार्थ दर्ज कर दिया तथा गिरदा[illegible] ने भी मुताबिक विक्रय पत्र अंकन सही पाया है। इसलिए [illegible] मनमाने से अपीलान्ट का नामान्तकरण अस्वीकार कर खारीजकर [illegible] को मात्र विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के [illegible] दर्ज करना था। इस प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रेस्पोडेन्ट ने रंजिशवस व राजनैतिक द्वेषतावस अपीलान्ट का नामान्तकरण अस्वीकार किया है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 559 दिनांक 22.06.2021 को पुनः जांच कर पूर करने के लिये नायब तहसीलदार सिंधाना को रिमाण्ड किया जावे।

अपील दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। सभी रेस्पोडेन्ट की सम्यक् तामिल हुई। सभी रेस्पोडेन्ट की सम्यक् तामिल के बावजुद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलार्थीगण की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज में नकल नामान्तरकरण संख्या 759, नकल जमाबंदी सं. 2075–78, विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021,पेश किए गए।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि (1) अपीलान्ट ने दिनांक 09.02.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। (2) अपीलान्ट ने विक्रय पत्र प्रति नियमानुसार पटवारी हल्का को अपने पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का की दी गर्द। जिस पर पटवारी हल्का नामान्तकरण संख्या 759 के द्वारा नियमानुसार दिनांक 25.05201 को दर्ज कर बाद हस्ताक्षर कर जांच हेतु भू0अ0निरीक्षक सिंधाना को प्रेषित किया गया। भू0अ0निरीक्षक सिंधाना द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अकंन किया कि मुताबिक विक्रय पत्र अंकन सही है तथा मौके पर कुछ भाग पर प्लाटिंग की हुई है। जो अकृषि उपयोग में काम आ रही है। नामान्तकरण संख्या 759 दिनांक 22.06.2021 को ग्राम पंचायत मोई सद्‌ा की ग्राम सभा प्रेषित किया गया। ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या के अनुसार नामान्तकरण संख्या 759 को खारीज कर दिया गया। नामान्तरकण स. 759 ग्राम पंचायत ने कोरम की पूर्ति किये बिना ही नामान्तकरण को अस्वीकार कर खारीज कर दिया गया। सरपंच ग्राम पंचायत मोई सद्दा ने मजमें आम में नामान्तरकण तस्दीक नही किया हैं विधि एवं तथ्यो के विपरित नामान्तकरण को अपास्त किये जाने योग्य मानकर खारीज कर दिया गया हैं। (3) जबकि अपीलान्ट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि को क्रय की है जिसमें नियमानुसार शुल्क जमा करवाया है। राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार पंजीकृत दस्तावेजात का नामन्तकरण विधि प्रक्रिया अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अकंन करनें का है। किन्तु ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही नामान्तकरण संख्या 759 को अस्वीकार कर दिया जो विधि व नैसर्गिक सिद्वान्तों के विरूद्व है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं अपनानी चाहिए थी। (4) नामान्तरकण तस्दीक नही करनी कटरवना की हैं हस्तलेख से स्पष्ट रूप से बाद में लिखना उक्त नामान्तरकण को देखने से ही स्पष्ट दिखाई देता हैं इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

नामान्तरकरण स. 759 गलत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अतः न्यायालय अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर ग्राम ढाणी हुक्मा का नामान्तरकरण सं. 759 निर्णय दिनांक 22.06.2021 द्वारा ग्राम पंचायत मोई सद्दा अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण उप तहसीलदार सिंधाना को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता ह कि समस्त हितबद्व पक्षकरान को विधिवत सूनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करे। पक्षकार दिनांक 24.01.2022 को सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक **19-01-2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested